भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2081

जिसका उत्तर सोमवार, 5 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक) को दिया गया

अटल पेंशन योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य

2081. श्री सी. एम. रमेश:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अटल पेंशन योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के लिए पात्रता मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2015 में एपीवाई के आरंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत नामांकित किए गए लोगों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और

(ड़) विगत वर्षों में एपीवाई के अंतर्गत मिलने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): अटल पेशन योजना (एपीवाई) का उद्देश्य सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों, अल्पसेवितों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सर्व-सुलभ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करना है। यह योजना बैंक अथवा डाक-घर में बचत बैंक खाता रखने वाले 18-40 वर्ष के बीच की आयु के भारत के सभी नागरिकों के लिए है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को गारंटीशुदा पेंशन प्रदान करने के बेहतर लक्ष्य के लिए दिनांक 1.1.2022 से आयकरदाता एपीवाई में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे।

(ग): शुरुआत से ही एपीवाई के अंतर्गत नामांकनों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा, अनुबंध क में दिया गया है।

(घ): एपीवाई योजना शामिल होने की उम्र और चयन की गई पेंशन राशि के आधार पर प्रति माह 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए और 5000 रुपए की लचीली न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन प्रदान करती है। तदनुसार, वर्तमान में प्रति माह अभिदान राशि चुने गए विकल्प के आधार पर 42 रुपये से 1454 रुपये तक अलग-अलग होती है। एपीवाई योजना न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है और पेंशन राशि में किसी भी प्रकार की वृद्धि से अभिदान राशि में पर्याप्त वृद्धि होने और अभिदाता पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना है। वर्तमान में, इस योजना को समान नियम और शर्तों के साथ जारी रखने और पेंशन और परिणामी अभिदान राशि में और वृद्धि न करने का निर्णय लिया गया है।

(ड़): दिनांक 28.6.2024 की स्थिति के अनुसार, अपने शुरुआत से ही एपीवाई के अंतर्गत भारित औसत रिटर्न 9.22% है।

****

अनुबंध (क)

"अटल पेंशन योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2081 जिसका उत्तर दिनांक 05.08.2024 को दिया गया।

एपीवाई के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार संचयी सकल नामांकन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	996	1,902	3,594	4,896	6,089	7,312	12,770	17,948	22,656
2	आंध्र प्रदेश	1,82,094	3,54,421	6,33,089	9,92,202	13,64,153	18,79,471	22,99,498	28,20,938	33,84,368
3	अरुणाचल प्रदेश	1,988	4,267	7,577	10,866	15,313	25,264	47,349	72,865	92,840
4	असम	38,831	68,793	2,08,508	2,85,179	4,16,585	6,53,721	8,86,076	11,98,121	15,39,044
5	बिहार	2,62,416	5,31,158	10,35,501	15,31,911	20,81,488	28,22,476	39,97,372	50,63,225	62,26,052
6	चंडीगढ़	4,847	8,690	15,268	21,777	30,196	43,048	59,585	93,044	1,14,694
7	छत्तीसगढ	33,008	74,358	1,56,366	2,45,602	3,55,448	5,31,692	7,62,034	10,43,809	13,16,508
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	5,020	11,597	30,473	61,616	76,402	53,650	80,916	1,13,864	1,37,976
9	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	54,286	93,161	1,73,884	2,65,634	3,88,537	4,88,379	6,93,393	9,05,956	10,75,824
10	गोवा	7,042	13,188	25,629	62,615	75,383	95,286	1,26,865	1,60,799	1,85,914
11	गुजरात	1,36,891	2,54,603	4,70,556	7,11,785	9,81,686	12,42,093	16,07,503	19,64,476	23,56,932
12	हरियाणा	59,143	1,07,990	2,10,849	3,24,435	4,71,620	6,18,505	7,97,787	10,78,626	13,40,929
13	हिमाचल प्रदेश	25,807	38,558	69,284	1,01,474	1,53,639	2,08,917	2,92,622	86,054	4,69,033
14	जम्मू और कश्मीर	17,778	28,432	41,383	56,439	71,732	88,452	1,14,664	1,54,699	1,93,584
15	झारखंड	43,985	96,451	2,19,579	3,50,165	5,42,790	8,15,229	11,35,106	15,34,599	19,41,856
16	कर्नाटक	1,85,016	3,37,339	6,62,845	10,99,381	14,82,149	18,76,534	22,94,858	27,63,104	32,89,016
17	केरल	51,335	1,06,335	2,10,848	3,45,377	4,92,321	6,09,790	7,52,097	9,07,751	10,97,107
18	लद्दाख	-	-	-	-	2,290	2,665	3,209	4,454	5,223
19	लक्षद्वीप	355	2,241	3,666	4,652	5,178	4,558	5,606	6,943	7,454
20	मध्य प्रदेश	1,28,219	2,42,989	4,83,883	7,46,827	11,79,893	17,52,349	22,94,421	30,01,318	38,07,122
21	महाराष्ट्र	2,24,562	4,04,471	7,35,444	11,90,986	17,22,536	23,17,313	30,97,671	40,73,950	51,26,342
22	मणिपुर	4,533	7,185	11,273	21,862	47,694	41,328	64,089	97,589	1,18,134
23	मेघालय	5,534	8,258	11,185	35,439	55,097	35,247	65,352	97,735	1,18,647
24	मिजोरम	1,073	9,029	14,571	20,457	29,127	18,481	28,665	39,651	48,083
25	नागालैंड	9,048	18,260	32,770	60,578	81,257	42,003	75,647	1,11,874	1,40,387
26	उड़ीसा	1,08,126	1,85,484	3,37,979	4,93,842	7,61,795	11,35,243	15,04,968	18,99,877	23,52,825
27	पुद्दुचेरी	4,480	7,652	18,270	34,450	45,798	52,930	63,446	75,098	86,888
28	पंजाब	75,505	1,58,218	3,25,043	4,76,401	6,76,084	8,83,367	11,18,351	14,68,720	18,05,373
29	राजस्थान	1,14,929	2,84,070	4,88,518	6,95,201	10,28,059	14,68,762	21,05,600	28,08,352	34,87,527
30	सिक्किम	3,918	6,889	21,756	60,677	1,05,221	58,517	1,21,006	1,92,819	2,48,085
31	तमिलनाडु	1,67,585	3,42,810	7,90,482	12,24,868	17,36,428	22,57,374	29,29,240	36,54,283	43,70,049
32	तेलंगाना	59,681	1,33,925	2,53,263	4,36,472	6,58,329	7,45,965	10,00,678	13,25,709	16,76,324
33	त्रिपुरा	4,620	12,164	24,939	47,801	74,720	1,02,019	1,39,317	1,88,110	2,39,629
34	उत्तर प्रदेश	2,66,827	6,34,576	13,62,314	22,51,904	32,42,742	45,40,489	60,72,347	82,08,639	1,03,32,563
35	उत्तराखंड	17,288	40,515	83,839	1,29,661	2,25,837	3,01,922	4,03,359	5,42,097	6,72,437
36	पश्चिम बंगाल	1,54,074	2,53,618	5,30,132	10,13,487	16,15,923	23,92,636	30,70,457	39,77,650	49,20,094

स्रोत: पीएफआरडीए

*****